फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

बरजांगराम पुत्र दादूराम कौम मेगवाल निवासी पिथोरानगर तहसील शिव जि॰- बाड़मेर (वगैरह) बनाम तनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह कौम राजपूत निवासी पिथोरानगर तहसील शिव जिला बाड़मेर (वगैरा -2)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अधि. मुकदमा नम्बर 107/2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री बृजमोहन कुमावत (Adv.) ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251, उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21-09-2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	3491 / 2/9/2020
21/9/20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनु.। विप्रार्थीगण के नोटिस आज तामिल शुदा हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री अर्जुनसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के जवाब दि. 28/10/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	

16.06.2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

नं हुक्म तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.6.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 3.7.25 को पेश हो।	
03.07.25	पत्रावली पेश। वाकुलाल उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार नवीन रास्ता कायम बाबत सहमति प्रदान की गई तथा रास्ता कायम का निवेदन किया गया। इसके विपरित विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में दस्तावेज नकलात जमाबंदी पेश करते हुए प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में कदीम रास्ता उपलब्ध होने से उक्त रास्ता का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने का कथन करते हुए उक्त आवेदन सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु नवीन रास्ता चाहा गया है जबकि वि[illegible]कील द्वारा पेश नकलात ज[illegible] स्पष्ट है कि [illegible] भूमि के सेटलमेंट पूर्व में ही कदीम रास्ता उपलब्ध है। चूंकि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन	

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हेतु पूर्व से ही कटाण रास्ता उपलब्ध होने से नवीन प्रस्तावित रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी के आवागमन हेतु पूर्व से ही कटाण रास्ता उपलब्ध होने से उक्त आवेदन सारहीन होने से इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:38 IST
Reason: SelfAttested